मध्ययुगीन उत्तर भारत में ग्राम प्रशासन का स्वरूप

डॉ. ज्ञानेश्वर शामराव कडव

इतिहास विभाग प्रमुख

ज. मु. पटेल कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, भंडारा.

सार :–

प्राचीनकालसे ब्रिटीश काल तक भारत में ग्राम प्रशासन स्वायत्त था। सल्तनत कालमें सिर्फ प्रशासकीय अधिकारीयोंके नाम में बदलाव आया, लेकिन प्रशासन का मुल स्वरूप एवं ढाचा बरकरार था । इन सुलतानोंने ग्राम स्वायत्तता में हस्तक्षेप नही किया । मुगल काल में सम्राट अकबर ने कुछ मामूली परिवर्तन किए लेकिन उल्लेखनिय बदलाव नही किया । आधुनिक काल की भांती ग्राम पंचायतो व्दारा ही ग्राम प्रशासन संचालीत किया जाता था । केंद्रिय एवं राज्य सरकारों का नियंत्रण आज की तरह मध्ययुगमें भी था । आज की तरह उसी वक्त भी ग्रामीण क्षेत्रोंमें कार्य करने हेतू अधिकारीयों की भूमीका नकारात्मक बनी थी । अधिकारी एवं कर्मचारीयों का लगाव शहरो–नगरों के तरफ ज्यादा था । इसका परिणाम ग्रामविकास पर हुआ । नगरोंकी तुलनामें ग्राम अविकसित रहे । यह प्रतित करना इस शोध निबंध का उद्देश है ।

प्रशासन :–

डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव ने लिखा है, ''हमारी सबसे बड़ी वैधानिक देन ग्राम–प्रशासन के क्षेत्र में थी । भारत वर्श में युगों से ग्राम–प्रजातन्त्र का सुसंगठित स्वरूप रहा है, जो गॉव वासियों में भ्रातृ–भाव फैलाने के साथ ही ग्राम–प्रशासनका कार्य भी सुगमता और सुपटुता से करता आया है । मध्यकालीन भरत में ग्राम–प्रजातन्त्र अपने मे स्वतन्त्र एवं पृथक इकाइयों के रूप में अवस्थित थे।दिल्ली के सुलतानोंने भी इनकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना लाभकारी और उचित नही समझा । शेरशाह भी ग्रामों में मुखिया, पटवारी और चौकिदार जैसे अर्ध्द सरकारी कर्मचारीयों व्दारा सम्पर्क रखता था ।अकबरने इस दिशा में एक कदम और बढाया । उसने ग्राम पंचायतों को वैधानिक रूप से न्याय करने वाली संस्थाओ के रूप में स्विकार कर लिया और इन पंचायतो के न्याय निर्णयों को अपनी ओर से मान्यता प्रदान की । उसने पटवारी और चौकिदार का परगने की सरकार से निकटतम सम्पर्क स्थापित कर दिया । ग्राम्य जीवन तथ ग्राम–प्रशासन में उसने हस्तक्षेप

न करना ही उचित समझाा, साथ ही यहाँ की प्रगतियों को सरकारी रूप से मान्यता प्रदान कर इनके गौरव को भी बढ़ाया ।''[१] वह आगे लिखते है, ''उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध तक ही नही, बल्की कुछ रूपों में तो वर्तमान काल तक ग्राम–प्रशासन सन्तोशजनक रूप से चलता आया है ।''[२]

ग्राम पंचायत :–

हरिशंकर श्रीवास्तव के अनुसार, ''भारत की अधिकतर जनता गॉव में रहती थी । प्राचीन भारत में ग्राम स्वायत्तशासी थे । गांव राज्य की आधारभूत इकाई थी एवं इसके अधिकार एवं कर्तव्य थे । गांव का प्राासन गांव पंचायत तथा गांव मुखिया व्दारा चलता था ।[३] वे आगे लिखते है, ''ग्राम्य संस्थाए मुगल काल में संगठित एवं सक्रिय थी ।[४]

डॉ. वी. एस. भार्गव लिखते है, ''मुगल साम्राज्य में गांव षासन की सबसे छोटी इकाई थी । गॉवों का प्रबन्ध पंचायते करती थी ।गॉव की सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, सिंचाई, झगड़ों के फैसले आदि का भार उन्हीपर था ।[५]

ग्राम पंचायतों एवं उनके कार्य का स्वरूप स्पष्ट करते हूए बी. एन. लुणीया करहते है, ''लगभग सभी गॉवों में पंचायते होती थी । ग्राम के प्रमुख परिवारोंके जेश्ठ सदस्य ग्राम–पंचायत के सदस्य होते थे ।ये सदस्य ईमानदार, सच्चरित्र, श्रेष्ठ आचार–विचार वाले, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ती होते थे । इनका मत और निर्णय सब को मान्य होता था । गॉव का मुकदम पंचायत की बैठको में अध्यक्ष का कार्य करता था । ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य थे गाँवो की शान्ति, सुरक्षा और व्यवस्था करना । चौकिदार नियुक्त करना, गॉवो कि स्वच्छता, स्वास्थ, चिकित्सा, सड़को, गलियों, तालाबो, कुओ, मेलों, हाट बाजारो और उत्सवों तथा स्थानिय सिंचाई की व्यवस्था करना ।ग्राम पंचायते न्यायालयों का भी काम करती थी। गॉववालों के मूकदमे सुनकर उनपर निर्णय करने का काम भी करती थी । ग्राम पंचायते सरकारी आज्ञाओं और शही फरमानों का पालन कराती थी ।[६]

डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव भी लिखते है, ''प्रत्येक गांव में ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम–पंचायते थी, जिनमे गांव में रहने वाले परिवारों के प्रमूख सदस्य सम्मिलित होते थे । यह पंचायतें ही ग्राम प्रशासन का उदरदायित्व संभालती थी । गॉव की रक्षा, स्वास्थ और सफाई, प्रारम्भिक शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा, निर्माण कार्य, न्याय तथा लोगों के नैतिक और धार्मिक उन्नतीके लिए जरूरी प्रबन्ध और व्यवस्था करना ग्राम पंचायतो का काम होता था । पंचायते ही ग्राम–निवासियों के खेलकुद, मनोरंजन तथा उत्सव त्यौहारों का प्रबन्ध करती थी । मुकदमों का फैसला करने के लिए एक पृथक पंचायत होती थी ।[७]

परमात्मा शरण भी कहते है, ''बिरादरी पंचायतो का भि आस्तित्व था, जिसमे अधिकतर मुकदमें तय कर दिए जाते थे । इन पंचायतो का प्रमूख कार्य झगड़ो का निपटारा, पहरा और निगराणी, शिक्षा, सफाई, लोक निर्माण, निर्धनों की सहायता, औशधि प्रबन्ध, आमोद–प्रमोद और त्योहारों की व्यवस्था करना था ।[८]

आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव ने भी बिरादरी पंचायते होने की बात की है । वे लिखते है, ''जाती बिरादरी की पंचायते भी थी, जो बिरादरी तथ कुटूम्बगत झगड़ों को तय करती थी ।[९]

इसी प्रकार बी. एन. लुणीया भी उपरोक्त मत का समर्थन करते हूए लिखते है, ''बड़ी ग्राम पंचायतो के अतिरिक्त गाँव में विभिन्न जातियों की छोटी–छोटी पंचायते भी होती थी । वे अपनी जाती के सदस्यों के झगडे निपटाती थी और जाति में समाज, धर्म, व्यवसाय और नैतिकता का स्तर बनाये रखती थी ।''१०

लेकिन लुणीया अपनी दुसरी किताब ''मध्यकालीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतीक इतिहास'' मे लिखते है, ''ग्राम्य जिवन में जनसाधारण के लिए न्यायदान की षासन की ओर से कोई व्यवस्था नही थी । फलत: ग्रामीण पंचायते ये कार्य करती थी। हिन्दुओं के मुकदमें पंचायतो व्दारा निर्णित होते थे ।''[११]

न्याय प्रणालीके बारे में लुणीया लिखते है, ''ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम पंचायते मुकदमे सुनति और निर्णय देती थी । हिन्दुओं के झगड़े पंचायती व्दारा निर्णय किए जाते थे किन्तु हिंदू–मुसलमानों के साम्प्रदायिक झगड़ो के लिए काजीही निर्णय करता था । कुरान के आधार पर न्याय और निर्णय होता था । इसलिए हिन्दुओं के साथ अवश्य अन्याय होता रहा होगा ।[१२]

विद्याधर महाजन भी कहते है, ''यह भी पता चलता है की, गाँवों का प्रबन्ध भी हिन्दु शासकों के हाथो में चलता रहा । प्रत्येक गांव मे एक पंचायत होती थी और बहुत से विवादों का वही निर्णय करती थी ।[१३]

अधिकारी एवं कर्मचारी :–

बी. एन. लुणीया के अनुसार ''प्रशासकीय सुविधा के लिए परगने के गांवो को कुछ समुह में विभाजीत किया गया था । अकबर के षासन काल में गांव दो प्रकार के थे । प्रथम जमीदारी गांव और व्दितिय रयतवाड़ी गांव । जमिदारी गांवों मे कृषक अपना भूमिकर जमींदारों को देते थे और जमीदार भूमि–कर षासन को देते थे । रयतवाड़ी गांवो में किसान अपना भूमि–कर सीधा षाही राजकोश में जमा करते थे ।''[१४]

गांव के प्रबन्ध के लिए निम्नलिखखित अधिकारी एवं कर्मचारी थे ।

मुकद्दम :– सल्तनत काल में दिल्ली के सुलतानोंने ग्राम व्यवस्था को उसी तरह बनाऐं रखा जैसा किवह पहले अस्तित्व में थी । केवल गांव के कुछ अधिकारीयों के नामों मे परिवर्तन हुआ । गांव के मुखियॉ को उत्तर भरत में मुकद्दम कहा गया । वह गांव का प्रमुख अधिकारी था । उसी के व्दारा गांव का लगान वसुल होता था और राजसी आज्ञाऐं कार्यान्वीत की जाती थी ।[१५]

हरिशंकर श्रीवास्तव मुकद्दम के बारे में लिखते है, ''गांव मे सबसे प्रमूख अधिकारी मुकद्दम साधारणत: गांव का निवासी होता था । पर कभी बाहर का व्यक्ती भी मुकद्दम नियुक्त कर दिया जाता था । यही मुकद्दम अपना काम ठिक से नही करता था तो महकमा माल के सरकारी अधिकारी उसे पदच्युत कर सकते थे ।[१६] मुकद्दम चौधरी या पटेल कहलाता था । यह पद वंशानुगत हो गया था । इरफान हबीब कहते है, ''कभी कभी इस पद का क्रय–विक्रय भी होता था । अवध में एक व्यक्ति व्दारा एक गांव के मुकद्दम के पद को २३० रूपये में खरीने का प्रमाण उपलब्ध है ।''[१७]

वी. एस. भार्गव का कहना है, ''उत्तर भरत के ग्रामों में मुखिया को 'मुकद्दम' कहकर पुकारा जाता था जबकि दक्षिण भारत में उसे 'पटेल' कहकर पुकारा जाता था । धीरे धीरे कृषक जब गाँव के मुखिया व पटेल बन गये तो उन्होने अपने निर्धन साथियोंपर उचित एवं अनुचित प्रभाव डालना प्रारम्भ किया । इसका कारण यह था कि गांव में मुखिया का पद षनै: षनै: वंश परंपरागत हो गया था । जब कभी मुखिया नि:सन्तान मर जाता था तब दुसरा मुखिया चुना जाता था । प्रत्येक मुखिया को ग्राम की आमदानी का २$^{१/२}$ प्रतिष्शत कमीष्शन रखने का अधिकार था । इसका कारण यह था कि प्रत्येक गांव मे षान्ति और व्यवस्था का समस्त उत्तरदायित्व मुखिया पर ही था ।''१८

आई. एच. कुरेशी का कहना है, ''Tkhe Chaudharis were village headmen and it was their duty to help the officials in the assessment and collection of state demand in their areas. Some times the office of the Chaudhari was combined with that of the qanugo.''[१९]

डॉ. परूथी के अनुसार ''चौधरी षब्द का प्रयोग पहिलीबार चौदहवी षताब्दीमें किया गया ।[२०]

इरफान हबीब का कहना है की, '' चौधरी गांव के मुखिया अथवा जमींदार और ताल्लुकदार की तरह के लोंगों के लिए प्रयोग किया जाता था । १७ एवं १८ वी षताब्दी में चौधरी भूराजस्व प्रषासन से एक परगना अधिकारी था ।[२१]

मुकद्दम के बारे में बी. एन. लुणीया का कहना है, ''गांव का सबसे बड़ा अधिकारी मुकद्दम होता था । जमींनदारी गांवो मे मुकद्दम सरकारी कर्मचारी होता था । रयतवाड़ी गांवो में गांव के किसी प्रतिष्ठीत व्यक्ति को मुकद्दम नियुक्त किया जाता था । उसका प्रमुख कार्य गांवसे कृषको से भूमि–कर वसूल करने में सरकारी अधिकारीयों व कर्मचारीयों को सहयोग करना था । वह गांव में शान्ति, व्यवस्था और सूरक्षा बनाये रखता था, समाजविरोधी तत्वों को दबाता था तथा चोरों, डाकुओ और बदमाषों को पडकड़ने में सरकारी कर्मचारीयोंकी सहाय्यता करता था । वह उपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव के आधारपर गांव के छोटे–छोटे झगड़ो को भी निबटाता था ।[२२]

पटवारी :–

ग्राम का दुसरा कर्मचारी पटवारी था । हरिशंकर श्रीवास्तव के अनुसार कदाचित किसानों को एि जानेवाले पटटे से सम्बधित होने के कारण उसे पटवारी हा जाने लगा । अबुल फजल के अनुसार वह किसानों का कर्मचारी था तथा, किसानों के व्यक्तिगत लगान, लेनदेन का हिसाब–किताब रखना उसका प्रमुख कर्तव्य था । उसके कागजात को 'बही' या कागज–ए–खाम अर्थात कच्चा चिट्टा कहते थे । वेतन के रूप में गावो से उसे फसलाना– खुराकी तथा अकबर के काल में वसूल किए गए लगान का एक प्रतिशत दस्तुरी मिलती थी ।[२३]

डॉ. वी. एस. भार्गाव ने लिखा है, ''मुखिया के अलावा प्रत्येक ग्राम में एक पटवारी हुआ करता था । पटवारी का पद अल्लाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रारंभ किया गया था ।[२४] लेकिन अबुलफजल पटवारी के कार्यो का वर्णन करते हूए लिखता है कि, यहां व्यक्ती गांव के आय–व्यय का लेख–जोखा रखता था । पटवारी ग्राम वासियों का सेवक होता था । जिस गांव मे सामुहिक व्यवस्था थी उन गांवोमें पटवारी सेवक के रूप में कार्य करता था । बडे गॉव में सरकार की ओर से कानुनगो भी नियुक्त किये जाते थे ।[२५]

बी. एस. लुणीया का कहना है, ''गॉवों में वह जमीनदार का नौकर होता था । रयतवाड़ी गॉवो में वह सरकारी नौकर होता था । पटवारी गॉव कि भूमी, भूमि का क्षेत्रफल, उसका नक्शा और नाप, उसके स्वामि, भूमी में उगाई जाने वाली फसल और उनके विभिन्न प्रकार, फसल की दशा और उपज का विवरण आदि रखता था । वह गॉव के कृषकों से भूमि–कर की वसुली और बकाया का भी हिसाब रखता था ।[२६]

डॉ. आर. के. परूथी ने लिखा है, '' प्रत्येक गांव में हिसाब–किताब रखने के लिए एक पटवारी होता था । उसके बही खाते से उस प्रत्येक वैध और अवैध भुगतान का पत्ता चल सकता था जो किसान राजस्व अधिकारियों को देते थे । पटवारी, एक सरकारी कर्मचारी नही बल्की ग्राम का अधिकारी होता था । निश्चय ही इस पद का प्रारंभ दिल्ली सल्तनत व्दारा नहि किया गया था । इस प्रकार से एक ग्राम अधिकारी या लिपीक के होने से ऐसा प्रतित होता है की एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गांव का अस्तित्व दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से बाहर था ।[२७]

जियाऊद्दीन बरनी ने अल्लाउद्दीन खिलजी के समय का वर्णन करते हूए लिखा है, '' यदि किसी भी पटवारी की बही से एक जितल भी उसके जिम्मे निकलता तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था और बंदीगृह मे डाल दिया जाता था ।[२८]

अन्य कर्मचारी :–

मुकद्दम और पटवारी के अलावा चौकीदार, सीमापाल, तालाब, जलाशयों एवंज जलधाराओं के अधिक्षक, पुरोहित, अध्यापक, ज्योतिशी, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, ग्वाला, वैद्य, गायक, चारण इत्यादी अन्य कर्मचारी थे । साधरणता इन्हे गांव से उपज का एक भाग जीविकोपार्जन हेतु प्राप्त होता था ।[२९]

प्रान्तीय और स्थानिय शासकीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करके कर वसूल करते थे और प्राय: पटवारियों, मुकद्दमों, कानुनगोओं, चौधरियों तथा जमींदारों के व्दारा ग्रामीणो व कृषकों पर नियंत्रण रखते थे । ग्रामीण क्षेत्रोंमें चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्याओं को रोकने के लिए शासन की ओर से थाने स्थापीत किए गये थे ।

समय समय पर प्रान्तीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रोंका दौरा करके कृषकों के हितों का ध्यान रखते थे । संकट काल और दुर्भिक्ष के समय जनसाधारण के कश्टों के निवारण के लिए शासन की और से प्रयत्न किए जाते थे ।[३०]

लेकिन सर यदुनाथ सरकार लिखते है, ''प्रांतिय अधिकारीयों ने न तो कोई जनकल्याणकारी कार्य ही किया और न उत्पातपूर्ण अपराधो अथवा प्रदेशों में राजकीय सत्ता की अवहेलना होने तक ग्रामीणों के जीवन में हस्तक्षेप किया । प्रत्येक ग्राम अपनी जीवन की प्रचालित एवं शान्ति रीति का अनुसरण करने के लिए स्वतन्त्र था । यदि शासन को किसी प्रकार की बाधा नही पहुॅचाता तो षषसन भी इसमे किसी प्रकार की अड़चन नहीं डालता था ।[३१]

सरकार और आगे लिखते है, ''मुगल साम्राज्य के दौरान केंद्रिय शासनने बुध्दिमानी से ग्रामीण क्षेत्रों को अकेले छोड़ दिया था और प्रत्येक जिले के लोगों को अतिप्राचीन परम्परांओं के अनुसार जीवन यापन की स्वतन्त्रता प्रदान की थी ।[३२]

इसी प्रकार डॉ. वी. एस. भार्गव भी ग्रामों के बारे में षासन कर्ताओंके दृश्टीकोन के बारे में लिखते है, ''मुगल बादशाह और उनके कर्मचारी वस्तुत: नगर में रहनेवाले व्यक्ति थे । ग्राम उपेक्षित एवं तिरस्कृत थे और ग्राम्थ–जीवन उनके विचार से एक प्रकार का दण्ड था । अकबर व्दारा प्रचलित यह परम्परा उसके अधिकारीयों के काल मे बनी रही और अंग्रेजो को विरासत के रूपमें प्राप्त हुई ।[३३]

निष्कर्ष :–

उपरोक्त विवरण से निश्कर्श निकाला जा सकता है कि, प्राचीन काल से चली आ रही ग्राम व्यवस्था सल्तनत एवं मुगल काल तक चलती रही, इस व्यवस्था के मूल रचना मे परिवर्तन करने का गम्भीर प्रयास किसी भी सूलतान या सम्राट ने नहि किया । ग्रामीण व्यवस्था में हस्तक्षेप नही करने की निती चलती रही । ब्रिटिशोंने भी भारत मे अपने शासन काल में यही निती अंमल मे लायी थी । उनके कृषी एवं व्यापारी

निती ने ग्रामीण व्यवस्था पूर्णत: नष्ट की । आधुनिक काल मे जरूर सरकार की निती में बदलाव आया लेकिन ग्रामीण व्यवस्था की मूल रचना वैसी ही है जैसे पहिले थी ।

इनका अर्थ मध्ययुगीन काल तक चली आ रही ग्राम व्यवस्था सरकारों के लिए लाभदायक थी, अन्यथाउसमे परिवर्तन लाया गया होता । इसका दुसरा लाभ ग्राम की स्वायत्तता कायम रखने में हूआ । इससे ग्रामीण जीवन आत्मनिर्भर बना केंद्रीय और प्रांतिय सरकारो परी निर्भर नही रहने की एवं अपने भरोसे समस्याओं का समाधान करने की वृत्ती ग्रामवासियों की बनी लेकिन सरकारोंने हस्तक्षेप एवं सहाय्य की जो निती अपनाई उसका असर ग्रामविकास पर हुआ, क्योकी विकास के लिए जरूरी मदत और मार्गदर्शन प्राप्त करने मे ग्रामों कों दिक्कते आती थी । ग्राम के आय के स्त्रोत मर्यादीत होते है । सरकार के स्त्रोत व्यापक होते है, इसलीय बिना सरकारी सहाय्यता से विकास करना संभव नही होता । इसी लिए नगर, शहरों की तुलनामें ग्रामों का विकास कम हुआ । शहरी एवं ग्रामीण जीवन में अंतर पड़ा । इसका प्रभाव राष्ट्र के प्रगती एव सामर्थ्य में ही पड़ा । ग्रामीण जनता का लगाव शहरो के तरफ बढ़ने की यह वजह है । शहरीकरण में बढोत्तरी हो रहि है इस शहरीकरण ने अनेक नई समस्याऐं निर्माण की है । यह प्रतित करना शोध निबंध का उद्देश है ।

संदर्भ सूची :–

१) डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव – मुगल कालीन भारत, आग्रा, १९८९, पृ. २००, २०१

२) डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव – मुगल कालीन भारत, आग्रा, १९८९, पृ. २०१

३) हरिष्शंकर श्रीवास्तव – मुगल शासन प्रणाली, नई दिल्ली, १९७८, पृ. १२२

४) हरिष्शंकर श्रीवास्तव – मुगल शासन प्रणाली, नई दिल्ली, १९७८, पृ. १२३

५) डॉ. वी. एस. भार्गव – मध्ययुगीन भारत की समस्याऐं, ग्वालीअर, १९८१, पृ. ४७३, ४७४

६) बी. एन. लुणीया – अकबर महान, आगरा, १९७२, पृ. ४१३, ४१४

७) डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव – पूर्वोधृत, पृ. २०१

८) परमात्मा षरण – दि प्रॉव्हीन्सीयल गव्हर्नमेंन्ट ऑफ द मुगल्स, इलाहाबाद, १९४१, पृ. २३६

९) डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव – पूर्वोधृत, पृ. २०१

१०) बी. एन. लुणीया – पूर्वोधृत, पृ. ४१४

११) बी. एन. लुणीया – पूर्व मध्यकालीन भरत का राज नैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, उज्जैन, प्रथम संस्करण, पृ. ३२९

१२) बी. एन. लुणीया — पूर्वोधृत, पृ. ८६९

१३) विद्याधर महाजन — दिल्ली सल्तनत का इतिहास, नई दिल्ली, १९६३, पृ. २७४

१४) बी. एन. लुणीया — अकबर महान, आगरा, १९७२, पृ. ४१२, ४१३

१५) हरिष्शंकर श्रीवास्तव — पुर्वोधृत, पृ. १२२

१६) हरिष्शंकर श्रीवास्तव — पुर्वोधृत, पृ. १२२, १२३

१७) इरफान हबीब — दि एग्रेरियन स्स्टिम ऑफ मुग़ल इंण्डिया, एशिया पब्लिकेशन हाऊस, १९६३, पृत्र १३३

१८) वी. एस. भार्गव — पुर्वोधृत, पृ. १६४

१९) आई. एच. कुरेशी — The Administration of the Mughal Empire, Patna, Page . २४४

२०) डॉ. आर. के. परूथी — सल्तनत कालीन भारत का आर्थिक इतिहास, दिल्ली, २००९, पृ. ९६, ९७

२१) इरफान हबीब — पुर्वोधृत, पृ. ९०

२२) बी. एन. लुणीया — अकबर महान, पृ. ४१३

२३) हरिष्शंकर श्रीवास्तव — पुर्वोधृत, पृ. १२३

२४) वि. एस. भार्गव — पुर्वोधृत, पृ. १६४

२५) वि. एस. भार्गव — पुर्वोधृत, पृ. १६४

२६) बी. एन. लुणीया — अकबर महान, पृ. ४१३

२७) डॉ. आर. के. पारूथी — पुर्वोधृत, पृ. ९५, ९६

२८) जियाऊद्दीन बरनी — तारीख—ए—फिरोजषाही, पृ. २८८, २८९

२९) हरिशंकर श्रीवास्तव — पुर्वोधृत, पृ. १२३

३०) बी. एन. लुणीया — अकबर महान, पृ. ४१३

३१) सर यदुनाथ सरकार — मुगल षासन पध्दती, आगरा, १९६०, पृ. १०

३२) सर यदुनाथ सरकार — पुर्वोधृत, पृ. १०, ११

३३) डॉ. वी. एस. भार्गव — पुर्वोधृत, पृ. १६२